?the banner of democracy is held high. Today the world is wanting to know what is happening in India. It is up to all the leaders to think of all these things. Ours is a country where democracy has flourished. If we have got our banner high, it is the contribution of both the Government and the Opposition. I want that we must keep up this tradition. We must keep ourselves in the front as the largest democracy and uphold higher values so that in the world history our name can go up. We have done this to some extent. We have to view the entire political scene. That is why we must have a better understanding, we must think of the social relevance,- the circumstantial facts, and we must think of the healthy growth of the political life in the context of the prosperity of the nation.

With these words, I would appeal to Mr. Jha that though he has brought a Bill On a very laudable subject, which is of utmost political importance, but this Constitution (Amendment) Bill does not contain all provisions. It does not provide the powers and methedology. So, why not bring another Bill if you are so sincere?

With these words, I would appeal to him that he may withdraw the Bill.

REFERENCE TO THE ALLEGED ARREST OF SHRI ERA SEZHIYAN —(Contd.)

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I have a small submission to make. This morning a question had been raised about the alleged arrest of our Member, Shri Era Sezhiyan. I rang up Madras to find out the position. He was not arrested. He was only taken aside and let off. There was no arrest or detention. Anyway, a communication should be coming to the Rajya SabhlT'Secreta-riat. It is for record.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: (Orissa): That is enough for a Member of the Rajya Sabha. It should be a matter of shame for the country, whether the Central or the State Government.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: But he has not been arrested.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Whatever it is.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: A communication will follow.

SHRI "HAREKRUSHNA MALLICK: My name is there for speaking on the Bill. '

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Mr. Mallick, I will call you afterwards.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1979.

(to amend articles 101 and 190) — Contd.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : मोहतरिम सदर साहब, यहां झा साहब का जो विधेयक है असल में मैं उस की आत्मा के साथ हूं और इसमें मैं मानता हूं कि कुछ तब्दीली की गुंजायश हो सकती है और हम मानते है कि बिल बहस के बाद यहीं का यहीं रह जायगा, लेकिन बहरहाल यहां पर जो बातें कही ज ती हैं और साहू जी जैसा कह रहे थे, उन बातों से कुछ जनमत तो बनता ही है। असल में केवल दो ही मुद्दे होते है लोगों को अपने पाप को छिपाने के लिये, इस दल बदल के लिये। हर पढ़ा-लिखा इंसान जिसको कुछ राजनीतिक स्वार्थ है वह यही बतलाता हैं कि ऐसा न होने से हिन्दुस्तान में टूट हो जायगी, जमहूरियत को खतरा हैं, मुल्क टुकड़े-टुकड़े हो जायगा, क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ रही हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितना ही बड़ा कानून क्यों न बना लें जब तक

[श्री लाडली मोहन निगम]

हिन्दुस्तान में सूबे सूबे के बीच में आर्थिक विषमता बनी रहेगी जब तक सूबाई इलाकों का शोषण, उनका कुदरती और इंसानी दोनों तरीकों का शोषण, बाहर की ताकतों द्वारा होता रहेगा, यह जलन तो बनी रहेगी। आप, सदर साहब, जानते हैं कि दो सगे भाइयों में भी एक दूसरे को बढ़ोत्तरी देख कर जलन होती है। इस लिये हम को इस की बुनियाद में जाना चाहिए कि आखिर क्यों यह मामला टल रहा है। असली सवाल यह है कि आज एक सूबा महसूस कर रहा है कि हमारा वजूद ही खतरे में पड़ गया है और इस मामले में जब सियासत करने वालों के मन में यह बात घर कर गयी कि हमारा वजूद खतरे में है तो लाजमी है कि उसका संबंध जिस दल से होगा उस का असर उस पर जरूर पड़ेगा। साहू साहब, शायद आप को मालूम नहीं कि हिन्दुस्तान में जब जम्हूरियत पूरी तरह से परवान नहीं थी, गुलामी का जमाना था, जब हिन्दुस्तान में इंडिया ऐक्ट, 1935 के तहत पहली मर्तबा आम इंतखाब सीमित दायरे में, सीमित लोगों द्वारा हुए, उस समय से यह बात चल रही है। आप को याद है न? 1936 में आपने सियासी मंसूबे और हविस को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान की उस जमाने की अजीम पार्टी, कांग्रेस, जो मुल्क की पार्टी अपने को कहती थी महज इसलिये कि उसको तात्कालिक स्वार्थ पूरा करना है, उसने मुस्लिम लीग के साथ मिल कर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता में, हुकूमत में साझेदारी का सवाल आया तो फिर हमारी लार टपक गयी कि हम क्यों दें। हम बड़े भाई बन गये। छोटे भाई के साथ मिल कर तो मुकदमा लड़ा, लेकिन जब देने का मौका आया तो अलग हट गये और वही हिन्दुस्तान की जम्हूरियत का सब से पहला काला दिन है जिस दिन कांग्रेस ने लीग को हुकूमत में शिरकत करने से रोका और मरहूम हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को जो लीग के टिकट पर लड़े थे उन को आप ने दलबदल करवाया और अपने दल में लिया तो सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चलती है क्या? ऐसे कौन चलता है। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। आजादी के बाद सब से पहले . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): फिर वह रिजाइन कर के एलेक्शन लड़ कर आये।

श्री लाडली मोहन निगम: आप का कहना सही है। वैसे तो 25 सौ एक्जाम्पल मैं दे सकता हूं। पहले आप ने टुकड़े कराये, हिस्सेदारी दी और फिर कहा कि चुनाव लड़ लो अपनी पाकदामनी का सबूत देने के लिये। मैं जो कहना चाहता हूं उस को जरा देखिये। 1952 के पहले चुनाव को आप ले लें। उत्तर प्रदेश में वहां सब से पहले हुकम सिंह को किस ने डिफैक्ट कराया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस जमाने में जिस दल से था या आज भी बेनामी तौर पर 3 P.M. जिस के साथ जुड़ा हुआ हूं वैचारिक स्तर पर, आज भी दिमागी तौर पर और वैचारिक स्तर पर जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं वह सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में बनी थी। मैं उसकी बुनियाद में नहीं जाना चाहता हूं। सन् 1953-54 में महज कांग्रेस को केरल में अकसरियत नहीं मिली, इसलिए उन्होंने दलबदल को बढ़ावा दिया। आपने केरल में जो पाप किया था वह आगे भी चलता रहा। आपने हिन्दुस्तान की उन छोटी छोटी

पार्टियों को लालच दिया कि तुम आपस में हिस्सेदारी कर सकते हो और अपनी मात् पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को तोड़ सकते हो, वही अब तक चलता रहा है। इस प्रकार से आपने श्री पट्टमथानु पिल्लें की सरकार बनवाई। आपने यह साबित किया कि हिन्दुस्तान में अल्पमत की भी सरकार बन सकती है और वह आपके रहमोकरम पर जिन्दा रह सकती है। मैं इस सारे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। सन् 1956 में एक नई पार्टी बनी। उसके घोषणा पत्र में जम्हूरियत की बात रखी गई। श्रीमन् वाई०बी०चव्हाण उस वक्त गृह मंत्री थे। उनको दावत दी गई और चिट्ठी लिखी गई कि हिन्दुस्तान में जम्हूरियत अभी अपनी जवानी पर भी नहीं आई है, शैशवावस्था में है इसलिए सब विरोधी दलों को मिलकर एक साथ बैठकर एक आचार संहिता बनानी चाहिए और चुनावों के संबंध में नीति निर्धारित करनी चाहिए और राजनीति के इस पवित्र कार्य को दल-बदल या दूसरे तरीकों से दूषित नहीं होने देना चाहिए। मुझे याद है उस जमाने में श्री वाई०बी० चव्हाण ने अपनी सरकार की तरफ से हमारी पार्टी के अध्यक्ष डा० राम मनोहर लोहिया को जवाब दिया था कि ठीक है, दल-बदल की आपको चिन्ता हो सकती है, हिन्दुस्तान की राजनीति की शुद्धिकरण की चिन्ता आपको हो सकती है, लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, अगर कभी इस मामले पर सोचना होगा तो 5–6 चुनावों के बाद सोचेंगे। मतलब साफ था कि 5–6 चुनावों तक हम जिन्दा रहेंगे और येन-केन-प्रकारेण, तोड़-फोड़ करके, राजनीति चलाते रहेंगे। इसके बाद इसका इतिहास शुरू हो जाता है। आज भारत का राजनीतिक जीवन दूषित हो गया है। सड़क पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिज्ञों को शक की नजर से देखता है। किसी का चरित्र अच्छा हो या बुरा यह तो आप जानिये और इसको ढूंढने की कोशिश कीजिये लेकिन आम जनता किसी एक वर्ग के चरित्र को किसी एक चरित्र से जानता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक शुद्धता के लिए और प्रजातंत्र के लिए यह जरूरी है कि अब भी समय है आप अवसर को मत खोइये। आज यह बिल अगर पास न भी हो तो कानून मंत्री जी इस बारे में पहल कर सकते हैं और उनको पहल करनी चाहिए। देश की प्रधान मंत्री को पहल करनी चाहिए आप आपस में बैठकर कोई आचार संहिता बनाओ। मैं इस संबंध में अपनी सरकार को भी दोषी मानता हूं। आप ऐसा बिल मत लाइये जैसा बिल लाने की कोशिश जनता पार्टी ने की थी जिसमें विरोधियों की आवाज को ही खत्म कर देने की कोशिश की गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहमति ही समर्थन नहीं होती है असहमति भी समर्थन का काम करती है। यह जरूरी नहीं कि सब लोग प्रजातंत्र में आपकी बात का समर्थन करें। मान लीजिये मैं सदन में किसी बिल पर बोल रहा हूं और दल के खिलाफ बोल रहा हूं तो क्या इसका यह मतलब होगा कि दल के नेता मुझे पार्टी से निकाल देंगे ? एक का दल-बदल दल-बदल माना जा सकता है लेकिन अगर एक समूह दल बदल करे तो इसमें आपको फर्क करना चाहिए। एक व्यक्ति का दल-बदल हो सकता है लेकिन अगर कोई समूह एक विचार से दूसरे विचार में जाता है तो वह दल-बदल नहीं हो सकता है। आपने आज तक किसी समूह की बात को नहीं सुना इसीलिए मुल्क में क्षेत्रीय पार्टियां बनती

[श्री लाडली मोहन निगम]

रही। अगर आपने प्रजातंत्र में समूह की बात को भी सुनने की आदत डाली होती तो यह खतरा नहीं हो सकता था जिसकी ओर श्री साहू ने इशारा किया है। उस स्थिति में इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां कभी नहीं पनपतीं। अगर दिल्ली में बैठा हुआ कोई तानाशाह या गद्दी पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति राज्यों की सरकारों के साथ पटवारी और कलक्टर की तरह व्यवहार करेगा तो उस इलाके के लोगों को ठेस लगेगी। कौन नहीं जानता है जहां से आप आए हैं वहीं पर सबसे पहले गण संग्राम परिषद् बनी थी। उस वक्त तक हिन्दुस्तान में किसी क्षेत्रीय पार्टी का कोई निशान नहीं था। क्यों बनी थी? अब यह इतिहास बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस वास्ते प्रजातंत्र में दो चीजें जरूरी है। एक समान बराबरी और दूसरा सहमति होने का अधिकार। किसी की भी असहमति हो उसको यह अधिकार मिलना चाहिये वह यह कहे। जम्हूरियत की सबसे बड़ी खास चीज यह है कि अगर असहमति हो तो आप प्रचार करने का मौका देते है कहने का मौका देते हैं तो उसमें एक संभावना बनी रहती है कि असहमति कल बड़े वर्ग की सहमति बन सकती है। अगर आपने असहमति को रोक दिया तो सहमति का समर्थन करने वाले का आखिर अंततोगत्वा क्या परिणाम होता है, कौन जाने उसके गर्भ से आम सहमति के नाम पर देश को टूटने के नाम पर हिटलर ही जन्म ले ले, जम्हूरियत जन्म नहीं लिया करती है। हिटलर ने यह नारा लगा कर वहां की संसद को कहा था। अगर यही भाषा हम लोग भी बोलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इसका मूल्यांकन कोई न कोई कर डाले। आज हम संसद की आचार संहिता पर खुद संसद में बनाए हुए कानूनों पर कितना अमल करते हैं? आज जम्हूरियत का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है यह आप जानते होंगे। आम जनता से चुना हुआ आदमी आम जनता के सामने तो ठीक है लेकिन जिस सदन में वह बैठता है वहां भी वह अपने को महफूज नहीं कर पाता। उसके लिये पुलिस के पहरे सिक्योरिटी और जामा-तलाशी की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा और क्या गिरावट हो सकती है? इससे पता चल रहा है कि हिन्दुस्तान की जम्हूरियत किधर जा रही है। दल-बदल की हमारी हवस ने हिन्दुस्तान की जम्हूरियत को कहां खड़ा कर दिया है? आज चुने हुए प्रतिनिधि अपने लोगों से डरने लग हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि दल-बदल तीन-चार चीजों के लिये जरूरी है। अगर कोई आदमी दल बदल करता है तो आप यह नियम बना लें कि उसको अपने चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र का 3/4 मतदान केन्द्रों में समर्थन ले आता है तो वह उसका सदस्य हो सकता है। मुझे हक है आज मैं हिन्दू हूं और मुझे मुसलमान बनने पर ठेकेदारी मिल जाती है तो क्या मैं मुसलमान नहीं बन सकता? कौन रोक सकता है। मत स्वतंत्रय की आपने व्याख्या की है। आपका बुनियादी अधिकार है उसको आप कैसे रोक सकेंगे। आज प्रजातंत्र की कोई शरियत नहीं है बल्कि जो खुदा ने कह दिया है वहीं चलेगा। यह नहीं चलना चाहिये। यहां सिद्धांत मनुष्य बनाता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप यह नियम बना दीजिए कि अगर आदमी दल बदल लेता है तो उसके पास जितने भी पद हैं उनसे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसको चुनाव के लिये जाना पड़ेगा। अगर नहीं तो कम से कम यह बंधन लगा दीजिए कि आने वाले पांच

वर्ष तक या जब तक उस सदन की अवधि है तब तक वह किसी पद पर नहीं जा सकता—न पार्टी के अन्दर और न पार्टी के बाहर । अगर आप इसको मान लेने को तैयार हैं तो मैं समझता हूं जो आपका लालच है दाना फेंक कर मुर्गा फांसने का देश की सियासत में, वे मुर्गे फांसने बंद हो जायेंगे । इस वास्ते मैं कहना चाहता हू कि आम जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों को देश की सियासत में जो मुर्गो की हैसियत में लाकर छोड़ा है, कम से कम उससे उनको बचाइये । यही संशोधन कबूल कर लीजिए कि कोई आदमी दल-बदल करता है तो पांच वर्ष तक वह कभी भी या इस सदन की अवधि तक वह किसी सरकारी, गैर-सरकारी या पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेगा । दूसरा आप यह कर दीजिए, दल बदल रोकने का एक तरीका यह हो सकता है कि जब कभी कोई सदस्य चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करने जाता है तो उस वक्त अपनी और अपने परिजनों की सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी । तब कोई भजन लाल देश में पैदा नहीं हो सकता । कोई गरीब यहां जमीन नहीं खरीद सकता । तब उसको पता चलेगा कि उसकी कितनी हैसियत है । कम से कम उसमें तरमीम तो नहीं, हां, प्रावधान कर दीजिए कि हर आदमी जो चुनाव के मैदान में आना चाहता है उसको अपनी व्यक्तिगत और अपने परिजनों की, सार्वजनिक रूप से, सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी । सार्वजनिक रूप से, ताकि कल फिर वह राजनीति के माध्यम से, अपनी हैसियत पैसे से न गंवाये या कोई बड़ा अफसर, मुझे ताज्जुब हुआ सदर साहब, इस साल की लोक लेखा समिति की जो रपट है, बिहार सरकार की, उसने एक प्रदेश के गवर्नर के बारे में क्या-क्या बातें लिखी हैं, क्या-क्या बातें कहीं हैं, मैं क्या कह सकता हूं । अगर राजनैतिक पद का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है, अगर किसी बड़े पद पर कोई बैठता है तो उसकी क्या बात होगी, इसलिये इसको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, कहीं न कहीं इस पर लगाम लगानी पड़ेगी ।

तीसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दल बदल करने वाले अगर समूह में करते हैं, मान लीजिये इस सदन के 15–20–30 आदमी किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की कोशिश करते हैं या अपना अलग दल बनाते हैं तो उनको वह अधिकार होगा । इस पर आप यह रोक लगा . . . (**व्यवधान**) . . . वह मैं बता रहा हूं । सुनो तो । यहां खाली कलम नहीं घिसते ।

मैं कह रहा हूं । अगर मान लीजिये मेरे दल की संख्या 100 है तो आप यह रोक लगा दीजिये कि जब 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत आदमी डिफेक्ट करते हैं तो वह दल बदल नहीं होगा और अगर इससे कम करते हैं तो वह दल बदल माना जायेगा, कम से कम 20 प्रतिशत, क्योंकि अगर यह शर्त आप रखेंगे तो इसमें दोनों रास्ते बने रहेंगे । आप किसी की सहमति और असहमति सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । यह नहीं है कि आम सहमति आपके सामने होनी चाहिए । दूसरी चीज यह भी हो सकती है, मैं उसके लिये तैयार हूं कि सदन हमें जब कभी भी सार्वजनिक हित का कोई प्रस्ताव वगैरह आता है, अगर आप हर सदस्य को इसकी छूट दे दें कि वह अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार मतदान करे तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं दल बदल रोक सकता हूं । यह नहीं हो सकता कि जबर्दस्ती उसके मन के खिलाफ वोट दिलायें । यह काम दो-ढाई वर्ष तक जनता सरकार ने किया

[श्री लाडली मोहन निगम]

और बह गई। आप लोग लगातार यह कोशिश कर रहे हो और इसके चलते हिन्दुस्तान की राजनीति हर सूबे में पनप रही है। आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रीजनल पार्टीज की बात आप करते हैं। याद रखें कि आज कोई भी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। अपने बूते पर वह हर सूबे में चुनाव नहीं लड़ सकती। ... (**व्यवधान**).....

श्री (मौलाना) असरारुल हक (राजस्थान) : ...हर स्टेट से मेम्बर हैं कांग्रेस कमेटी में .... (**व्यवधान**)

†[شری (مولانا) اسرار الحق

(راجستھان) : ہر اسٹیٹ سے ممبر ہیں کانگریس کمیٹی میں ..... (مداخلت)]

श्री लाडली मोहन निगम : आपके जो हकीम हैं ... (**व्यवधान**) ... हकीम का बोर्ड हर जगह लगा हुआ है, उनकी सारी दुनिया में चर्चा है। आपकी दाढ़ी स्याह नहीं है, सफेद दाढ़ी को आपने स्याह किया है, उसकी मैं इज्जत करता हूं मेरी जुबान खोल दोगे तो बहुत बुरी बात होगी ... (**व्यवधान**) ...

मैं अर्ज कर रहा था कि आज आप क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता कर रहे हो, झक मारकर कर रहे हो, अन्ना डी० एम० के० के साथ करते हो, डी० एम० के० के साथ करते हो, आपका मन जिसके साथ चाहे समझौता करो लेकिन जब कोई और पार्टी किसी के साथ समझौता करने की कोशिश करे तो आपको बुरा लगता है।

श्री (मौलाना) असरारुल हक : समझौता आप कर रहे हैं। हम तो किसी पार्टी से समझौता नहीं करते। काश्मीर में इलेक्शन लड़ा, किसी से हमने समझौता नहीं किया।

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

سمجھوتہ آپ کر رہے ہیں - ہم تو کسی پارٹی سے سمجھوتہ نہیں کرتے - کشمیر میں الیکشن لڑا - کس سے ہم نے سمجھوتہ نہیں کیا -]

श्री लाडली मोहन निगम : केरल में समझौता किया।

श्री (मौलाना) असरारुल हक : वह कोई समझौता नहीं है।

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

وہ کوئی سمجھوتہ نہیں ہے -]

श्री लाडली मोहन निगम : तो फिर वह क्या है?

श्री (मौलना) असरारुल हक : यह उनकी मदद है, वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिये उनको सपोर्ट कर रहे हैं ... (**व्यवधान**) ....

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

یہ انکی مدد ہے - وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں - اسلئے انکو سپورٹ کر رہے ہیں - .... (مداخلت)]

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

श्री लाडली मोहन निगम : यह क्या समझौता नहीं है, सियासत नहीं है ?

श्री (मौलाना) असरारुल हक : कहा है मदद है . . . (**व्यवधान**) . . . आप अभी गिर पड़ेंगे तो आपकी मदद करेंगे या नहीं ?

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

کہا ہے مدد ہے - . . (مداخلت) . . آپ بھی گر پڑینگے تو آپ کی مدد کرینگے یا نہیں -]

श्री लाडली मोहन निगम : यह सब सियासी तौर पर हो रहा है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री (मौलाना) असरारुल हक : सियासत यह भी है . . . (**व्यवधान**)

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

سیاست یہ بھی ہے . . . . (مداخلت) . . . .]

श्री लाडली मोहन निगम : आपकी सियासत हो सकती है, मेरी नहीं है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपसभाध्यक्ष महोदय कि एक निश्चित प्रतिशत अगर आप बांध देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी । इससे यह हो सकता है कि यह जो लालच के जरिये, डर के जरिये या प्रलोभनों के जरिये तब्दीली होती है वह रुक सकती है । (**समय की घंटी**)

आखिर में, एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । इस बिल पर खुलकर चर्चा हो रही है, बड़ी खुशी की बात है । मैं साहू जी को बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था । उनके मन में पीड़ा है । लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और आप इतना याद रखे कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अगर आपने दिल्ली में बैठकर सम्मान नहीं किया तो फिर वह दिन दूर नहीं कि जब कभी भी कोई मरकजी हुकूमत अपनी इलाकाई हुकूमत की तौहीन करता है तो मुल्क टूटा करता है और यही गुजिश्ता इतिहास पिछले 18 सौ वर्षों का मुझ को सिखलाता है । जब कभी किसी सूबे के साथ या उसके सूबेदार के साथ किसी तानाशाह ने, दिल्ली में बैठा हुआ, चाहे वह एक खानदान ही क्यों न हो, एक मां के पेट से निकले हुए भाई ही क्यों न हों, उन्होंने बगावत की है, मुगल इतिहास के सफे भरे पड़े हैं । इसलिए मेरा कहना है सब को साथ लो और सब को फलने-फूलने दो लेकिन इस बुनियादी बीमारी को दूर करने के लिए दो ही तरीके हैं । दल बदल किन कारणों से हुआ है उस पर विचार करने के लिए सब बैठ कर-के एक गोल मेज कान्फ्रेंस बुलाएं और उनमें बैठ करके हम सब खुले मन से सन् 1936 से लेकर के 1983 तक अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल कर के देखें, इतिहास को देखें । मुझे पूरा भरोसा है अगर ईमानदाराना तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात की पहल की तो कोई वजह नजर नहीं आती कि हिन्दुस्तान में इस राजनीतिक बीमारी का इलाज न ढूंढा जा सके । धन्यवाद ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, this is a House of Elders and I think this esteemed House is mainly engaged in such debates of national interest and importance for future instead of just putting rubber stamp on what comes from the other

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[Shri Harekrushna Mallick] House, so that the work of the two Houses may be divided and this House could function in right earnest. Otherwise, as it is known as the Council of States, some more assignments should be earmarked for this House, and every week, we should have such discussions on important subjects, not just in a blue moon. Every week the business cf the House is announced and Members speak. Here,lam sorry to point out that the entire side of the Treasury Benches is empty today. I- am extremely shocked to see vacant Treasury Benches; not even the concerned Minister is present. Only the Minister on the roster duty is here... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): The Minister concerned is sitting here.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: It is the Government's responsibility, and on this issue I- demand resignation of the Government. This Government. .. (Interruptions) ... has no right to stay.

SHRI B. IBRAHIM ^Karnataka): I would like to know on which subject is he speaking.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK; I demand, therefore, at the very outset, that if this is the attitude of the Government, then people must have the. right to recall this Government which has failed to function.

Now, coming to the topic under discussion, I would like to say... (Interruptions) . I cannot help it; you started the disturbance. As you sow, so shall you reap; that is a golden axiom. Let my friends on the other side be careful.

It is said that in love and war, nothing is unfair. Well, the Indian politicians have yet added another aspect that in politics also, nothing is unfair. Earlier, we talked about Aya-Ram and Gaya-Ram. The then President, Sanjeeva Reddy said in an. inaugural address—I am not interested in Aya-Rams and Gaya-Rams, although he himself embraced another Master Ram, whose name is also Ram —that is, Shri Jagjivan Ram. That is why I say, in fact, he was not actually interested in Aya-Rams and Gaya-Rams; he was only interested in one Ram... (Interruptions). I am talking about the future with reference to the past. Mr. Ibrahim should remember one other Ibrahim who let lose the rule of Delhi... (Interruptions) . He may remember it; I am talking something from the past, for the future, through the present—the living present.

SHRI B. IBRAHIM: Sir, on a point of order. He just referred to my name. I do not know what he has concluded. I would like to know from him. . . .

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I will tell you.

Sir, over since this Bhajan Lai chapter started, this country has gone into another era, the Bhajan Lai era. He became almost a wholesale trader; not one or two, but wholesale. He brought the whole pack and stood. The photograph is still there. The museums in this country will be disgraced with such a. photograph.

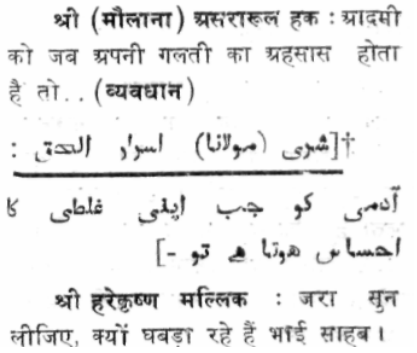

Don't worry. You will get your chance. Your chance will come. Don't try to disturb. Only you will be disturbed.

f I 1 Translation in Arabic Script. Script.

Sir, I have come with facts. I can detail them today, tomorrow or some othre day. There is no problem. Now, the question is this. Some of our hon. friends opposite justified this and asked, what is wrong if a person changes over from one party to another if he loses faith in the policies and programmes and in the leadership of the party to which he belonged. But I would ask them, what is the difficulty for him to resign and come through another election? If they are so much conscientious, they should seek the rriandate of the people again. Therefore, Sir, this is going on.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): You come to the point.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, it is said marriage is a ghastly public confession for ....

श्री (मौलाना) असरारुल हक़ : कई कई महीने क्यू में लगे रहते हैं तब जाकर मेम्बर (व्यवधान) बनते हैं . . . (व्यवधान)

†[شری (مولانا) اسرار الحق : کئی کئی مہینے کیو میں لگے رہتے ہیں تب جاکر ممبر . . (. داخلت) . . بنتے ہیں -]

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I do not know why the hon. Member is *3t>* much excited. He has, perhaps, come otherwise prepared, not for this speech. Why should he disturb on every point? He is excited.

AN HON. MEMBER: You are excited.

(Interruptions) SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I am not excited. I am exciting.

(Interruptions)

Let them calm down. As I said, marriage is a ghastly public confession of a private intention. In the same way,

t[ ] Translation in Arabic Script.

out. in amerent sense, elections ais« are today a ghastly public confession of a public intention, not-any private intention. X, Y or Z goes to the electorate and starting from the forehead to the toe, he begs for vote saying

बहन जी, माताजी आपको दुआ चाहिए और दुआ लेने के बाद. . .

(Interruptions)

The problem is; your mind is elsewhere. That is the difficulty. Your eyes and ears are not here. Your eyes. and ears are elsewhere, intention. X, Y or Z goes to the elec-

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Sir, on a point of order. Is he speaking in any language which is in the Eighth Schedule of the Constitution or is he......................

(Interruptions)

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: May I clarify? I do not know whether the hon. Member knows at all *wha* languages are in the Eighth Schedule of the Constitution. English is not in the Eighth Schedule of the Constitution and she spoke in that language.

Now, the question is, whether or' not we should go in for this. Well, one party or the other, one day or the other, this Government or the other,, will be bound by history to come forward with such a Bill. Unless we seal defection, democracy in India will be a failure. Shri Ashok Mehta once said, if India fails, fails democracy in the world. This was in 1962. Now, India is the largest democracy in the world. But we are being discredited by such Members who are sitting there, who are master defectors. They not only incite defection, but they also support defection, they maintain defection and they still desire defection. That is why, they are in difficulty. That is why, they are not interested in this Bill. But I am glad,, at least, one hon. Member Opposite congratulated the mover of' the Bill. Sir, there is one last point.

^HRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL (Gujarat): MrHVIallick, how many times your leader defected?

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: No, no, I am talking for myself. Your leader is the master defector. Most of the members are master defectors and your Government is based on master defection. So, let us not be academic only. When an amendment of this nature comes, we should examine it legally, academically and from all angles. We should have an open heart, clear heart. *(Interruptions).* Why are you irritated? Why are you excited or incited? What is the problem? Truth is always bitter, but it is the bitter quinine that cures malaria. *(Interruptions).* The purpose of the discussion that we are having today is that we and our next generations should have a better political future. Ours is the greatest democracy in the world. Let it remain great, good <md let it perpetuate for ever. (Interruptions). I am sorry,"" even if at this point they want to interrupt me, they should immediately go out of the House, resign from the House, or else they should be dragged out of the House. If this is the attitude of these Members, the people of India should come and drag them out of their chair. They do not deserve to be here. What they are doing is absolutely wrong. I am extremely sorry to say all this, but in a House like this.... (Interruptions). No, no, I am not angry. My heart is soft and sweet, hut my words are strong.

So, the question is 4 is the independent memebrs and parties having very little strength who make to and for movement like shuttle cocks. The simplest strategy should be that the independent members, who are elected on independent ticket, should not have any voting right in the House. They will be like venomless snakes coming out of the charmer's *jhola. (Interruptions)* My second point is, the election should be kept valid and tenable j and viable for the period for which ! it is held. Now there is inconsistency in the parties also when an opportunity comes to bag more seats or to take a chance for bagging more seats. People will be indulging in having voting rights now and then. So, voting, electioneering and all that should not be made a blaekmarketing business. The paper we waste on every election is enough to educate our children for, 10 years. Therefore, I strongly plead that the State Assembly should be there for the period for which it has been voted. Whether it is at ' the Centre or in the States, the period of election should not change. The State Assembly can be kept in suspended animation but it should not be dissolved. An independent member has nothing to do if the Government fails. *(Interruptions).* I am swinging my hand all round. This side I am swinging my hand because that side has failed and so my hands will automatically go on to this side. That side does not deserve to be in power.

fThe Vice-Chairman Dr. (Shrimati) Najma Heptulla in the Chair].

The other point is, no Assembly should be dissolved. Whether it is Assam or Kerala or Delhi, the Assembly so constituted by law, through election, should remain there for the period for which election has been held. There should not be frequent dissolving of the State Assemblies. This will prevent frequent inconsistency for the people to vote or to be voted. The other thing is, the elected members form an electoral college lor election of members of this House. Their tenure should not be disturbed. When the Assam Assembly and the Kerala Assembly were dissolved, the elections; of the House were affected. At that time also this matter came up and I have also given a No-Day-Yet-Named Motion. The Governor should not dissolve the House whenever such a case occurs. In case of failure of the State Government machinery, the House should be keDt alive for the period over which the elecion is held so that the eonstituencv for election, namely the electoral college, will he kept viable.

Coming to the functions of this Government, we should immediately see *tb,at* the Minister concerned should bring forward a regular Bill to stop defections right during this Session. Let us start a new era; let us start an entirely new history. Nobody will lose; nobody will gain. In Maha-ashtra, you recall nobody gained, nobody lost. When Belalsen was asked, who killed whom? he said: "I have seen nobody killing anybody. What I saw was a wheel going to this side and that side and people were falling down. Nobody died; nobody lived". In a democracy, it is like this. What is life after all? It is just a small piece. How elegant, how colourful it can be, it is upto you. It is upto you to S2e how happy this life can be.~ Similarly, national life should b"e~an eternity. The freedom of the people, the democracy of the country and the sacred process of elections should b_e perpetuated till eternity. The Government should see that this should be brought in immediately and we should have no objection to it. No section will oppose it-And no party is going to lose. We can even tomorrow pasg^t so that right from the Centre and the States, we can start a new era, new epoch for the people of India to live and love to live in th"i_s country.

श्री (मौलाना) असरारुल हक : मैं डिपुटी चेयरमैन साहब से एक गुजारिश करूंगा कि पालयामेंट की प्रोसीडिंग्स में इत का लफ्ज आ गया कि कोई मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा मेरा नम्र निवेदन है कि डाक्टर को बुला कर अपोजीशन वालों की आंखों का मुआयना कराया जाय कि उन को चश्मा लग जाय कि मिनिस्टर नजर आएं । मकवाणा साहब बैठे थे, गुलाम नबी आजाद बैठे थे, कल्पनाथ राय बैठे थे, इन्हें नजर नहीं आये ।

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

میں ڈپٹی چیئرمین صاحب سے ایک گذارش کروں گا کہ پارلیمنٹ

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کی پروسیڈنگس میں ان کا لفظ آ گیا کہ کوئی منسٹر نہیں ہے لہذا میرا نم نویدن ہے کہ ڈاکٹر کو بلاکر اپوزیشن والوں کی آنکھوں کا معائنہ کر لیا جائے کہ ان کو چشمہ لگ جائے کہ منسٹر نظر آئیں - مکوانہ صاحب بیٹھے تھے - غلام نبی آزاد بیٹھے تھے - کلپ ناتھ رائے بیٹھے تھے - انہیں نظر نہیں آئے -]

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: The way this Government functions, we are confused who is a Minister. The Minister must standTip and say: "I am the Minister". I Bo not know when he is going out.

SHRIMATI MONIKA DAS: You should be ashamed for this.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Why should I be ashamed? You should be.

श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम-निर्देशित): वाइस चेयरमैन साहिबा, जो अमेंडमेंट पेश किया है झा साहब ने उस में सब से मजे की चीज थी जिस पर उन्होंने रोशनी डाली और वह यह कि मेम्बरों को रिकाल किया जा सके । यह बहुत इन्टरेस्टिंग चीज है । रिकाल क्योंकर किया जायेगा यही बात है । मान लीजिए कांस्टीटुएंसी में 5 लाख आदमी हैं जो मेम्बर एलेक्ट हुआ उसे 2 लाख वोट मिले, सेकिन्ड को पौने 2 लाख मिले । जिसे 2 लाख मिले उसे रिकाल कैसे किया जायेगा ? मान लीजिए झा साहब इलेक्ट हुए और मैं ने एप्लीकेशन दिया कि इन को वापस बुलाया जाय । एक आदमी की एप्लीकेशन पर होगा ? आप कहेंगे नहीं । दस की, सौ की, हजार की, कितनी की काफी होगी । या कह दो इलेक्शन फौरन किया जाय जिस से मालूम हो कि रिकाल करना चाहिए । तो कितने आदमियों की एप्ली-

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

केशन पर किया जाय—दो, बीस, हजार, दो हजार—अगर दो हजार आदमी एप्लीकेशन दे दें तो उस के बाद तो इलेक्शन हो जायेगा कि हम इन्हें नापसन्द करते हैं यानी पूरा इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर इलेक्शन किया जायेगा नया मेम्बर चुनने के लिए । तो दो-चार सौ आदमी हर मेम्बर के खिलाफ मिल सकते हैं । इस का मतलब है मेम्बर का इलेक्शन हो, फिर इस के बाद उस के रिजेक्शन का इलेक्शन हो । और जैसे वह इलेक्शन खत्म होगा, दूसरा इलेक्शन होने लगेगा । तो सारा हिन्दुस्तान साल भर एलेक्शन में ही लगा रहेगा । वापस करने के लिये, चुनने के लिये एलेक्शन होते रहेंगे और हिन्दुस्तान भर में साल भर नारेबाजी होती रहेगी, तकरीरें होती रहेंगी और जलूस निकलते रहेंगे और कोई वक्त ऐसा नहीं होगा कि जब यहां इलेक्शन हो न रहे हों । पहले रिकाल करने के लिये कार्यवाही होती रहेगी और फिर लोगों को चुनने के लिये बराबर एक सिलसिला चलता रहेगा । लेकिन इस सब के लिये आप ने कोई रूल बताया नहीं । अगर वह अपनी स्पीच में इस के लिये कोई कायदा बताते तो वह बड़ा दिलचस्प होता । लेकिन उन की इस बात को मानने का नतीजा यह होगा कि पूरे हिन्दुस्तान में साल भर हर जगह इलेक्शन होते रहेंगे । कहीं रिकाल करने के लिये होंगे और कहीं चुनने के लिये इलेक्शन होते रहेंगे । न यहां दफ्तरों में कोई काम होगा और न कोई बिजनेस हो पायेगा और न लोग अपने काम धंधों को देख पायेंगे । मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस बात पर रोशनी नहीं डाली कि इस का प्रोसेस क्या होगा, रिकाल करने का प्रोसेस क्या होगा ।

दूसरी बात यह कि जरा सा चेंज आ गया है एटमास्फियर में । जब पहले यह बिल उन्होंने पेश किया था तो सूरत दूसरी थी, लेकिन उस के बाद कुछ गड़बड़ हो गयी । अब दो पार्टियों में एलायेंस हो गयी है जो कि एक दूसरे के बड़े खिलाफ थीं । चौधरी साहब जनसंघ के खिलाफ थे और जनसंघ ने वैसे अपना नाम बदल लिया है और यह पार्टी तो हर दूसरे साल अपना नाम बदलती रही है, लेकिन यह चौधरी साहब के बड़े खिलाफ थे । लेकिन अब उस को उन से मोहब्बत हो गयी है, उन दोनों में गठबंधन हो गया है । तो अगर इस दल-बदल को रोकते हैं तो गड़बड़ हो जायेगी तो इस लिये घुमा कर कहा कि अगर थोड़े आदमी उधर हो जाएं अगर आइडियाज बदल जायं तो कोई हर्ज नहीं है । एक नयी दलबदली हो रही है इस दल-बदल में । मैं चाहता हूं कि झा साहब इस पर भी जवाब देते समय रोशनी डालें कि चौधरी साहब ने जो जनसंघ का साथ किया है या जनसंघ ने जो चौधरी साहब का साथ किया है इससे क्या उन के आइडियाज में भी कुछ तब्दीली आयी है या नहीं ? चौधरी साहब ने जो काम किया है उस को हम जैसे लोग तो दल-बदली ही समझेंगे लेकिन झा साहब को यह बात सही नहीं लगेगी । एलायेंस अगर कांट्रेडिक्टरी लोगों से की जायें तो वह क्या होगी । पार्टीज तो आइडियाज पर चलती है, वोट पर नहीं चलती । आइडियाज पर हम जिन्दा हैं । उन पर ही हम चल कर मुल्क को कुछ देना चाहते हैं । उनके लिये हम जिन हुए हैं और आइडियाज के लिये हम ने लड़ाइयां लड़ी हैं । आज भी आइडियाज पर ही पार्टियां चलती हैं । दलबदल का यह मतलब नहीं है कि इस कुर्सी को छोड़ कर दूसरी कुर्सी पर

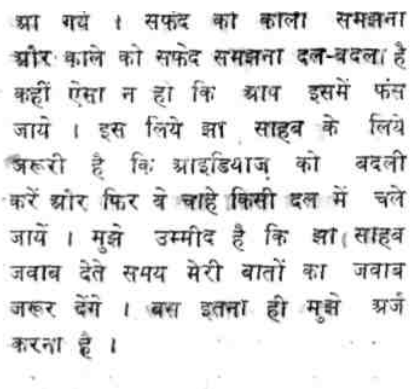

आ गये । सफेद को काला समझना और काले को सफेद समझना दल-बदल है कहीं ऐसा न हो कि आप इसमें फंस जायें । इस लिये झा साहब के लिये जरूरी है कि आइडियाज को बदली करें और फिर वे चाहे किसी दल में चले जायें । मुझे उम्मीद है कि झा साहब जवाब देते समय मेरी बातों का जवाब जरूर देंगे । बस इतना ही मुझे अर्ज करना है ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam Vice-Chairman, I am grateful to you for having given me an opportunity to speak on the subject. Mr. Jha has ■brought a Bill. 4 I do not know if any party in the country has so far openly objected to the principle behind this Bill. I recall, in this connection, when the Janata party came into power, they were vehement about it, that there should be an Anti-Defection Bill. When the Congress" came into power in 1980, I remember, in the autumn of 1980, Shrimati Indira Gandhi, our Prime Minister, speaking •at a press conference stated that, she in principle, accepted that there should be an Anti-Defection Bill and her Government would take steps in that direction. In other words, wlien the Janata was in power, they were for an Anti-Defection Bill. When Shrimati Indira Gandhi came into power, they were for an Anti-Defection Bill. Now it is a question whether what one says is serious about it or not. I recall from memory that afternoon I was still with our beloved leader Sheikh Mohammad Abdullah. • I told him in that day's papers there was a mention ofSmt. Indira Gandhi also accepting the principle of Anti-Defection Bill. He immediately called the then Law Minister, Mr. D. D. Thakur, who came immediately. He asked him if he could go ahead with a Bill like that. Mr. Thakur told him, "Yes, we have our own People's Representation Act, and we can go ahead with an Anti-defection Bill." He said, "Thjs is a remarkable thing. It would be & great service that you will do to the people of India if you become the pioneer in legislating this Bill." Within a month or so, an Anti-Defection Bill was passed by the Kashmir Assembly. It is a different story tfiat at *one time* or the other some political party has been supporting it or opposing it. But we are glad that at one stage, that is, in the High Court of Jammu and Kashmir the Anti-Defection Bill passed by the Jammu and Kashmir Government has been upheld. Now the people who have been defeated, who have lost in that petition, have gone to the Supreme Court. I do not know whether any political pa"rfy is interested in helping those individuals, to support them in fighting their case in the Supreme Court. By recapitulating all these events, Madam, I wanted to tellthis House that where there is a will there is a way.

I have not found a single Member in this House, who has in principle opposed the Bill. Tf somebody says, as Shri Hayat Ulla Ansari Saheb has said, that right of recall is not there, I find that it is there in the constitutions of many countries, and the *modus operandi* is given in them. But if the Law Minister comes to us with an alternate Bill and says that is a foolproof Bill which he is bringing to the House, it will be all right, we will accept that Bill.

In this connection, Madam, the Law Minister, Mr. Shiv Shankar, had also promised this House that he would come with a legislation. But 1 do not want to go into that because I was not a Member of this House then. But the day I took oath, I remember, that is the 26th of April, 1982, when I became a Member of this House, I spoke on the Ministry of Law. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe had asked, "What about election laws including defection laws?" Here is what Wt. *Jagannath Kaushal has* said, and I quote:

> "With regard to the election laVs, this matter has been discussed in

[Shri Ghulam Rasool Matto]e

this House over and over again. The various suggestions which have been made by the Election Commission as weira$_s$ by other bodies, have [a^] been formulated by the La$_w$ Ministry. The Law Ministry has gone to the Cabinet, and the Cabinet has sent it over to a Sub-Committee of the Cabinet. Again I assure the House that we will try t$_0$ see that ther$_e$ is a decision of th$_e$ Cabinet Sub-Committee on these points."

This is on the 26th of April, 1982, that the Law Minister gave this promise to this House. One year and six months have passed by, but this promise ha$_s$ not been fulfilled. I would request the hon. Law Minister who is sitting here before me that he should redeem this pledge. This is rh$_e$ need of the hour. We do not want these Aya Rams and Gaya Rams. We want a healthy democracy. We want that these who have been elected on a particular ticket, on a particular policy, to retain that, or i$_n$ case they want to defect to another party, resign their seat$_s$ and then get re-elected on their own programmes. I would request him very kindly to look into the proceedings of this House, look to the sense of the country as a whole and com$_e$ forward and redeem his own pledge which he made on the 26th of April, 1982 and come out with a Bill so that the spirit of Mr. Jha's Bill is fulfilled. Till such time, I have no alternative but to support the Bill *jf Mr. Shiva Chandra Jha. Thank you.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, [उपसभाध्यक्ष महोदय] मैं झा साहब के बिल की भावना का तो समर्थन करता हूं लेकिन जिस तरह से बिल है, झा साहब यहां हैं नहीं, लेकिन कोई भी गुंडा किसी भी लोक सभा या विधान सभा के सदस्य को तीन दिन में वापस कर लेगा, आप सहमत रहें । मैं गया था, समस्तीपुर के चुनाव ।

वहां एक विधायक हैं, मुझे इस समय उनका नाम नहीं मालूम । उनको महोबिया कहते हैं । समस्तीपुर के चुनाव में नारा लग रहा था . .

एक माननीय सदस्य : झा साहब आ गये ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : झा साहब जानते होंगे महोबिया को । अगर आप लोक सभा में होते तो महोबिया साहब का तीन दिन में वापस बुला लेते । समस्तीपुर में नारा लग रहा था कि वीर महोबिया क्रम-क्राम, मुहर लगेगी धड़ाम धड़ाम, दिन तुम्हारा रात हमारी वोट तुम्हारा टबू हमारा ।" शायद आप इसका मतलब भी समझ गये होंगे लेकिन फिर भी जरा बता दूं. (**व्यवधान**) . .बता रहा हूं । अगर आप लोक सभा में होते तो शायद आपको रात भर में वापस बुला लेते और आप ये बात नहीं करते ।

उसका मतलब है कि वीर महोबिया की क्राईम की जिंदगी आबाद रहे क्योंकि अगर वे अपराध करते रहेंगे तो मुहर धड़ाम धड़ाम हमारे पक्ष में लगेगी । दिन तो आप लोगों का है और रात है महोबिया की । दिन भर जो चाहे कर लो रात को हम चाहेंगे वही करेंगे ,दिन तुम्हारा रात हमारी । वोट आपके पास जरूर है लेकिन बूट हमारे पास है । इसलिये जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे . . . (व्यवधान)

श्री (मौलाना) असरारुल हक : चौधरी चरण सिंह . . .

श्री राम नरेश कुशवाहा : जो सावन में अंधा होता है तो उसको वैशाख में भी हरा दिखाई पड़ता है । उसे लगता

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

है कि चारों ओर हरा ही हरा है । यही हालत मौलाना साहब की है कि कोई भी बात हो उसमें उन्हें चौधरी चरणसिंह दिखाई देते हैं । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । भूत वह है जो सिर पर चढ़कर बोले । अगर चौधरी चरण सिंह का भूत उनके सिर पर सवार है तो मुझे खुशी है ।

श्री (मौलाना) असरारुल हक : मेरे साथ श्री बी० पी० मौर्य भी थे .. (व्यवधान).. रास्ता बन्द कर दिया और दो घंटे हम खड़े रहे । गोली मार देते वे लोग. . . (व्यवधान) . .

مہرے ساتھ شری بی - پی - موریہ بھی تھے ... (مداخلت) راستہ بند کر دیا اور دو گھنٹہ ہم کھڑے رہے - گولی مار دیتے وہ لوگ. . .(مداخلت)]

†[شری (مولانا) اسرار الحق :

श्री राम नरेश कुशवाह : आपकी बातों का जवाब मैं नहीं देना चाहता।

श्री (मोलाना) असरारुल हक : श्री मौर्य जी यहां नहीं हैं । वह भी थे । चौधरी चरण सिंह इस तरह इलेक्शन लड़ते हैं ।

شری موریہ جی یہاں نہیں ہیں - وہ بھی تھے - چودھری چرن سنگھ اس طرح الیکشن لوتے ہیں -]

†[شری سید رحمت علی (آندھرا

श्री राम नरेश कुशवाह : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो बंदर के हाथ में छुरी देना है । जो प्रवृत्ति आज पनप रही है. . (व्यवधान) . . . जो गुंडे हैं, जो प्रवृत्ति इस देश में बढ़ रही है, उस गुंडई प्रवृत्ति के कारण राइट टू रिकाल देना इस देश में खतरे से खाली नहीं है । केवल गुंडा ही ऐसा हो सकता है जिसके खिलाफ राइट टू रिकाल का उपयोग नहीं होगा और भले आदमी के खिलाफ कोई भी गुंडा जाकर गांव गांव के लोगों के दस्तखत करवा लेगा, कांस्टिट्युयेंसी-कांस्टिट्युयेंसी में जाकर दस्तखत करा लेगा और आप को वापस बुला लेगा । उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि यह काम तो बहुत मामूली कानून में हेर-फेर कर के भी हो सकता है । पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक प्रावधान जोड़ दीजिए कि जिस सिम्बल पर जो चुनाव लाता है अगर वह उस दल को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जो दल बदल का खतरा है दल-बदल के खतरे को इस तरह से तत्काल समाप्त किया जा सकता है । एक बात मैं कहूंगा कि दल-बदल जो होता है वह क्यों होता है ? वह इसलिए कि हमारी दृष्टि में कोई सिद्धान्त ही नहीं रह गया है । आज कोई पार्टी का मेम्बर बनता है तो वह यह सोच कर के बनता है कि हम को टिकट चाहिये और अगर टिकट नहीं मिलता है तो जहां उसको टिकट मिलता है वहां जाएगा और अगर टिकट मिल गया और वह विधायक बन गया तो उसको मंत्री बनना चाहिये जहां मंत्री बन गया तो वह सोचता कि अब मुख्य मंत्री बनना चाहिये और यदि मुख्य मंत्री बन गया तो सोचता है कि प्रधान मंत्री बनना चाहिये। चाहे वह प्रधान मंत्री बने या न बने, यह एक दूसरी बात है

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

तो यह राजनीतिक माहौल हम लोगों ने स्थापित किया है और हम लोगों ने अनैतिक आचरण राजनीति मे पैदा किया है । उसी का यह फल है और उस फल को समाप्त करने के लिए मैं वही सुझाव फिर दे रहा हूं कि आप पीपल्ज रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन कीजिये और जो जस सिम्बल पर चुनाव लड़ा है वह उस दल को जब छोड़ कर जाता है तो बिना कसी दूसरे कारण के उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाए । यह क्यों होता है ? राजनीति में तीन तरह के लोग होते हैं । कुछ लोग हैं जो सन् 1948 के पहले के हैं, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया ह, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वे आज की राजनीति के लिए अप्रसंगिक से हो गये हैं क्योंकि वे कभी यह नहीं सोचते थे कि हम एम० एल० ए०, एम०पी० या मिनिस्टर बनेंगे, प्रधान मंत्री बनेंगे उनके सामने तो देश की आजादी की लड़ाई थी । उसके बाद जो लोग आए हैं उसमे तीन तरह के लोग हैं । कुछ तो किसी पार्टी की नीति, कार्यक्रमों और सिद्धान्तों से प्रेरित हो कर आए हैं । कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके सामने कई सिद्धान्त नहीं है उनके सामने केवल पद और प्रतिष्ठा हैं । जहां मिले वहां जाएगे और कुछ लोग वे जैसे हैं जो शौकिया राजनीति करते हैं डाक्टर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं । राजनीति पर बहस करते हैं और जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ लेंगे । नहीं तो कोई बात नहीं । तो यह जो पहला वर्ग है यह नीति, कार्यक्रम और वक्तव्य को ही समझ कर आता है राजनीति में । इनकी संख्या जो मैं समझता हूं, पूरे जो भी दल हैं उसमें एक बटा छः के आसपास है, उससे कम नहीं है । अगर इनकी संख्या आधे से अधिक हो जाती है तो तब तो राजनीति में कुछ समीकरण बन सकता है । राजनीति की सफाई होगी । नहीं तो आगे क्या होगा, इस देश में हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या होने वाला है, यह भगवान ही जानता है । नहीं तो समय बतायेगा । इसलिये मेरा आप से अनुरोध है, झा जी से कहूंगा कि किसी भी एम० एल० ए० और एम० पी० को कोई भी गुण्डा तीन दिन में दस्तखत करा करके वापिस करवा लेगा । इसलिये इस तरह का खतरनाक हथियार गुण्डों के हाथ में मत दीजिये और भले आदमी ही लौटाए जायेंगे । गुण्डे हमारे लें या हम ही गुण्डागर्दी करने लगे तो हमारे खिलाफ दस्तखत कोई नहीं करेगा लेकिन भले आदमियों के खिलाफ, दस्तखत होंगे, अगर किसी गुण्डे के खिलाफ चोर डाकू के खिलाफ आवाज उठाते हैं अगर उसको बड़े-बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ दस्तखत करवाएगा आधे से अधिक से नहीं सेंट परसेंट, कराएगा, एक दो परसेंट को छोड़ मर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं (**व्यवधान**) हां, शिव चन्द्र झा का जरूर होगा भले आदमी का गुजर नहीं होगा राइट टु रिकाल । जैसे कि हम लोगों ने कहा था, 1974 में हम समझते थे कि बड़ा अच्छा है लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि किसी भले आदमी को यह गुण्डे रहने नहीं देंगे पद पर । एक बार चुने जाने के बाद दो महीने भी नहीं रहने देंगे अगर आपने उनका समर्थन नहीं किया । तो राजनीतिक लोगों को गुण्डों का समर्थन प्राप्त करने के लिये और गुण्डों का पृष्ठ पोषण करने के लिये, मजबूर होने के लिये यह विधेयक आप पास न करायें बल्कि इस विधेयक को हटाकर के पीपल्ज रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्रावधान कराएं कि ज्यों ही आदमी पार्टी बदलता है ज्यों-त्यों ही जिस सिम्बल से चुनाव लड़ा है अगर उसको

छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, और इससे दल बदल का भी और झा साहब का जो मकसद है वह पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA]: Mr. Dhabe, you have given your name. Would you like to speak or relinquish your right to speak, because you are not sitting in your seat?

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): I am coming to my seat, Madam, and I would like to speak.

Madam Vice-Chairman, the Bill which is being discussed is about the right to recall of elected representatives and the consequent vacation of seats by them. Madam, simply by making a provision in the Constitution, this problem is not going to be solved. The problem requires, first of all, a clear-cut identification of such political parties which are encouraging this practice. In our election system we have not taken any steps like Germany where there is the practice of registering political parties which have also to submit their accounts to the Election Commission. The political parties from which defections are taking place here are democratic parties. So far as the Left parties are concerned and such other parties which have got a committed ideology, there is less of defection in them.

You may be aware, Madam, that in England there are the Conservative and the Labour parties, having a very small difference in the number of seats in the House of Commons. But you won't get a single example that there has been defection from one of these two parties to the other. They may form new parties but a Conservative man will not defect to the Labour party and the Labour party man will not defect to the Conservative party. But even after 30 years of democracy in our country—and having a democratic way of life—we have not been able to stabilise our political system and our political parties. The phenomena which we have seen in the last so many years, much more during my tenure as a Member of Parliament, right from the 1977 elections, is that defections are taking place on a large, scale. When the Congress party was defeated at the polls, I was a Member of the undivided party. We had 154 Members in the party on the day aftec. the election results were declared when the Parliament met. But later about ten Members defected from the party and joined the other party. When the ruling party was changed and elections took place in 1980, with the new results and a massive man* date to the Congress Party led by Shrimati Indira Gandhi, the whole Government defected in Haryana and also in Goa, all the Members defected and joined the ruling party. Therefore, this trend and craze for political power is at the root of the whole phenomena.

The other thing which I have found is that public opinion is not mobilising to see that defections'do not take place. I am told that after the Karnataka elections, the public opinion. is very strong in Karnataka and that if one is elected on a particular ticket or mandate will not defect to the other parties.

But, Madam, this tendency which has been growing, can we blame any one party or the other for it? I find that whenever it suits any party's convenience, this instrument is used either to weaken the other parties or to swell their own numbers. It ha* also been seen that if any people have been expelled from the party but if they are elected, all their sins are washed away and they are allowed not only to rejoin the parties but they are also made Cabinet Ministers. Therefore, Madam, unless some principle is followed in our democratic system, these defections will take place on a very large scale, especial-

[Shri shridhar Wasudeo Dhabe]

ly whenever the prospect of an election is there, and the people having **a** narrow majority in their parties, will defect to other 4 p.m. parties. This is high time that the ruling party and its leader should take courage and have anti-defection law. It was passed in Jammu and Kashmir, in Karnataka it is on the anvil. Why should the Government be shy about it? It is very difficult to understand as to why should they not accept the principle and pass anti-defection law. It has been also recommended by the Election Commission and it has made the recommendation that political parties must be made answerable and should be registered and their account should be opened. If that is done, black money will not play the part it is playing today. This money power is another difficulty in the elections. Today, a poor man cannot fight elections unless he can arrange a lakh of rupees for the Assembly election or 5 to 10 lakhs of rupees for Parliament elections. Where from will the money come? Such people do not have membership of the parties; the parties also do not collect money from the masses. They only organise programmes at the cost of businessmen who are interested t_0 get some benefit from them. Therefore, the whole system is in difficulty and we find these hazards. So, my suggestion is— whether Mr. Jha's amendment is accepted or not, he has done a great service b_y bringing this Bill. In fact, even Jayaprakash Narayan was keen that people should have the right to recall, there must be some restraint On them, and from that point of view, it is a wholesome feature. There is no provision in our election system ■with regard t_0 defections and secondly, money power is creating all problems. These two defects have to be removed so that we hav_e fair elections. The Election Commission has done The job; but the Government has not done its job. So. I suggest, the Law Minister should take credit in bringing immediately a Bill before the next elections so that anti-defection laws become a reality.

"THE" VICE-CHAIRMAN"" "~[DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA]: There are two speakers. After this, the Minister will reply. Shri **S P. Malik.**

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्षा महोदया, मैं झा साहब का जो बिल है, इसका स्वागत करता हूं और इसकी जरूरत इसलिये है कि इस तरह का अगर कोई इंतजाम नहीं होगा, तो जो व्यवस्था हमारे पुरखों ने हमको दी थी लोकतन्त्र की, जो हजारों साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुल्क हम बने, उसमें एक राज करने का नया तरीका हुआ, जिसमें सबसे कमजोर तबके के लोगों को शिरकत मिले और यह व्यवस्था रहती है, तो उन कमजोर तबके के लोगों की बेहतर जिंदगी की सम्भावनाएं रहती हैं क्योंकि पांच साल में वे इस व्यवस्था के चलते पूछे जाते हैं। इस व्यवस्था के प्रति समाज के तमाम तबकों का यकीन आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है और वह खत्म इसलिये हो रहा है, माननीया, कि आजादी से पहले राजनीति में देश के बेहतरीन लोग आते, वे वह चाहे जिस पेशे के हों, आई० ए० एस० पास करने के बाद, बार-एट-ला पास करने के बाद, प्रोफेसर या प्रिंसिपल होने के बाद यानी जिसमें समाज और देश के प्रति सबसे ज्यादा चेतना थी, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थे, जो समाज का बेहतरीन निचोड़ था, वह देश के लिये कुर्बानी करने के माद्दे को लेकर राजनीति में आते थे और कुर्बानी करते थे। आजादी के बाद हुकूमत जिस पीढ़ी के हाथ में आई, वह बेहतर लोग थे।

आज कौन लोग राजनीति में आ रहे हैं ? चाहे मेरी पार्टी हो, या शासक दल हो, या दूसरे लोग हों, जो समाज का सबसे निकृष्ट

तबका है, जो अध्यापक नहीं हो सकता, वकील नहीं हो सकता, जो खेती नहीं कर सकता, जो इंजीनियर नहीं हुआ या पढ़ाई में पास नहीं हुआ, उसको सिर्फ 15 रुपए कुर्ता और पायजामा पर खर्च करना पड़ता है और इसके बाद जिंदगी की असीम सम्भावनाएं उस आदमी के लिये खुल जाती है। आजादी की लड़ाई के दौरान यह तौर था कि सरदार पटेल अपने गांव में और अपने इलाके में पहले सरदार होते थे, तब हिंदुस्तान के सरदार सरदार पटेल बने थे। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देश के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह किसी इलाके या क्षेत्र को पकड़ कर समाज-सेवा करे या समाज के लिये जद्दोजहद का काम करे। उसके पास बेहतरीन कपड़े, दिल्ली में ठहरने की जगह और दिल्ली में राजनीतिक दलों के चार-छः बड़े नेताओं के घर में घुसने का सलीका हो तो यहां से टिकट हासिल कर के वापस चला जायेगा और वोट पार्टियों के साथ बंधे हुये हैं, इसलिये जीतकर वापस आ जायेगा। तो यह जो समाज का सबसे नालायक यह जो समाज का निकृष्ट आदमी है, जो हर मोर्चे पर नाकामयाब आदमी है दिल्ली से खुशामद के जरिये ताकत पा कर जब समाज को छाती पर चढ़ जाता है चुनाव जीत कर, अगर उस के ऊपर अंकुश रखने का कोई तरीका नहीं होगा तो लोकतंत्र की सारी व्यवस्था से यकीन खत्म हो जायेगा। मैंने उर्दू के किसी रिसाले में पढ़ा, एक मुसलमान बुजुर्ग औरत अपने लड़के की बाबत लिखती है, उन्होंने लिखा कि मेरा लड़का है, मैं चाहती थी कि बी० ए० पास कर ले, पढ़ा नहीं, मैंने कोशिश की कि कोई कारोबार सीख ले अपने मामा के यहां जाकर, वह भी नहीं सीखा, मैंने कहा कि मैं अपने गहने गिरवी रख देती हूं उनकी बिना पर कोई दुकान, कोई व्यापार कर ले, आखिर में बूढ़ी औरत लिखती है, मैं ने आजिज आ कर कहा मरदूद कहीं कभी कुछ नहीं कर सकता तो कांग्रेस पार्टी का मेम्बर ही हो जा। यह बात मैं कांग्रेस पार्टी के लिये ही नहीं कह रहा हूं। यह बात उतनी ही सच तमाम पार्टियों के लिये है। तो यह जो नस्ल, जो सब जगह नाकामयाब हो जाती है इसके बाद सफेद कुर्ता-पाजामा पहन कर समाज की छाती पर चढ़ जाती है दिल्ली के दरवाजों से घुस कर। इसके ऊपर अंकुश लगाने का कोई और तरीका नहीं है इस तरीके के अलावा जो झा साहब ने बताया।

इसके साथ-साथ जो दलबदल का मामला है उस पर भी जरूर बोलना चाहता हूं। दलबदल के सिलसिले में 1966 में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसके अध्यक्ष थे चव्हाण साहब। लोकनायक जयप्रकाश भी उसमें थे। उस कमटी ने कुछ सिफारिशें की थी। '72 में उन सिफारिशों को प्रधान मंत्री जी ने नहीं माना, लेकिन 73 में एक बिल लाया गया था दलबदल की बाबत। उस दलबदल बिल के तीन टुकड़े थे—उनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। उसका जिक्र करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दलबदल की परम्परा के कारण सारी व्यवस्था के प्रति लोगों का यकीन खत्म होता जा रहा है। आज सारे देश में आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बहस में कड़वाहट आ जायेगी, मैं उस तरह से कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन हो यह गया है कि कहीं अगर लोग जीत कर आ जाये और दिल्ली में दूसरी किसी की सरकार है तो बराबर यह खतरा लगा रहता है कि दो दिन में कल्पनाथ राय या कोई साथी जायेगा और उस सरकार को तोड़ देगा—आप से निजी मतलब नहीं है। या हमारी सरकार

[श्री सत्यपाल मलिक]

होगी जनता पार्टी की, तो क्या करेगी ? बंगलौर में आप की सरकार को तोड़ेगी। क्यों टूटती है सरकारें ? लोग दलबदल करते क्यों हैं ? हो यह गया है कि देश की राजनीति में इज्जत इस बात से नहीं है कि राजनीति में कौन आदमी समाज के लिये लड़ रहा है। आज का वोटर, हमारे घरों के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त सब लोग यह जानना चाहते हैं कि हमारे जरिये क्या-क्या बेनिफिट, क्या-क्या फायदे उनको पहुंच सकते हैं। यहां तक कि हम लोगों के परिवार के आदमी, जब आदमी एम० पी० बनता है, एम० एल० ए० बनता है तो उस के नजदीक के लोग सवाल करते हैं कि आप रूलिंग पार्टी में क्यों नहीं चले जाते, रूलिंग पार्टी में जाने के बाद सवाल करते हैं कि आप मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, डिपुटी मिनिस्टर बने तो शोक मनाया जाता है, घर में कहा जाता है स्टेट क्यों नहीं बने, स्टेट बनते हैं तो घर में झंझट होता है, लोग कहते हैं कि फुल-फ्लैज्ड केबिनेट मंत्री क्यों नहीं बने। कुल मिलाकर राजनीतिक आदमी को चारों तरफ का माहौल अगर वह ईमानदार रहना चाहे—मैं सारे पेशे को बदनाम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजनीति में दीगर पेशों की बनिस्वत आज भी बेहतरीन लोग मौजूद हैं—जो समाज का ढांचा है, जो सामाजिक कम्प्लैक्शन है, जो सिचुएशन आज सारे देश में हो गयी है उसके चलते विरोध की राजनीति चलाना एक तरह से न मुमकिन काम हो गया है—यहां तक कि कांग्रेस में भी बिना ताकत के रहना एक ऐसी हिकारत और जलालत का काम बन गया है आदमी के लिये कि वह हर वक्त इस तलाश में रहता है कि वह ताकत के नजदीक कैसे पहुंचे। आज किसी संसद-दस, किसी एम० एल० ए० की, किसी बद सकी।दमीअ्कत इस बात से तय नहीं होती कि वह कितना काम करता है, समाज में उसकी इज्जत है या नहीं, उस के इलाके के लोग उसे पुछते हैं या नहीं पूछते हैं। उसके बारे में सिर्फ एक ही पैमाना रह गया है कि वह ताकत के कितने नजदीक है, क्या नतीजे निकाल सकता है, क्या फायदे करा सकता है। तो यह जो कंज्यूमर आफ पोलिटिकल पावर समाज में हैं, ये खाते हैं, राज-नीतिक आदमी को और उसको मजबूर करते हैं कि वह ताकत के लिए, पैसे के लिये, पद के लिये, कुर्सी के लिये जलालत करे, बेईमानी करे और इस तरह से वह ईमानदार आदमी दो-चार साल की स्ट्रगल के बाद—हजारों नाम मैं बता सकता हूं जो बेहतरीन आदमी थे, अपनी जवानी की उम्र में लड़ते थे, मेहनत करते थे, ईमानदार थे, लेकिन यह ढांचा आहिस्ता-आहिस्ता उन को खा जाता है। इसको रोकने की जरूरत है। दलबदल के संबंध में जो मैं जिक्र कर रहा था उसमें 1973 में तीन खास बातें रखी गयीं थीं और उसमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की दलबदल के बारे में जो परिभाषा थी उसको स्वीकार कर लिया गया था कि अगर स्वेच्छा से कोई आदमी दल को छोड़ कर जाता है तो उसकी संसद् या विधान मंडल की सदस्यता रद्द कर दी जायेगी। इसमें कोई मतभेद नहीं था। दूसरी बात यह थी कि दल विभा-जन हो जाये, कोई नया दल बन जाये तो उसके लिये आंकड़े दिये गये थे कि इतने आदमी अगर नया दल बना लेंगे तो उसको दलबदल नहीं माना जायगा। तीसरी बात यह थी और 1973 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इस बिल को लायीं तो उस समय भी इसका विरोध हुआ था और जब यह बिल उस समय की कमेटी में गया तो वहां भी उसका विरोध हुआ, लेकिन तीसरा मुद्दा यह था और जनता

पार्टी जब सरकार में आयी तो तीसरे मुद्दे को स्वयं उसने बदला। जिस तीसरे मुद्दे से मेरा मतलब है वह यह है कि दल का कोई सदस्य संसद् में या विधान सभा में अपने दल के आदेश या व्हिप के खिलाफ अगर वोट देता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जायेगी। अगर इसके लिये कोई बिल आता है और उसमें यह चीज जोड़ी जाती है तो हम इस का विरोध करेंगे। आज जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, कोई राजनीतिक दल इस देश में ऐसा नहीं है जिसमें पिछले दस साल में सदस्यता के आधार पर कोई चुनाव हुआ हो। राजनीतिक दलों का नेतृत्व बिना किसी भी एक दल को अपवाद बनाये हुए, मैं कह सकता हूं कि, मध्य-युगीन मिजाज का नेतृत्व है। दलों में आपस में किसी विषय पर बहस मुमकिन नहीं है। दलों में विचारधारा के आधार पर बहस नहीं होती। अगर किसी साथी से मतभेद हो गया तो मैं उसको किसी का दलाल कह दूंगा और मुझे वह किसी का एजेंट कह देगा। इस तरह की बहस आज सारे दलों में आपस में चल रही है। सारा काम, दिल्ली से होता है। चाहे किसी पार्टी का नेतृत्व हो। यहां पार्टी के तानाशाह हैं और सूबों में सूबाई तानाशाह हैं। यह तानाशाही खत्म होनी चाहिए और इसके लिये जरूरी है कि तीसरा मुददा जो है, जो 1973 के बिल में लाया गया था, तो उसका विरोध उस समय हुआ था और उसके बाद जनता पार्टी जब उसको लायी थी तो उसका विरोध हुआ था और अगर फिर वह आयेगा तो हम उसका फिर विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि दलों के अन्दर यह आजादी होनी चाहिए कि तीन मौकों को छोड़कर—एक तो बजट के वक्त, दूसरे एप्रोप्रिएशन बिल के वक्त और तीसरे अविश्वास के प्रस्ताव के वक्त, जिनसे कि सरकार गिरती हो, इन तीन मौकों को छोड़कर दल के सदस्यों को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब मैं यह बात कहता हूं तो अनुशासनहीनता की बात नहीं कहता। यहां लाइब्रेरी में एक किताब मौजूद है—'डिसेन्शन्स इन दि हाउस आफ कामंस'। उस को आप देख सकते हैं। पचासों बार ऐसा हुआ है कि बड़े-बड़े लोगों ने, चर्चिल जैसों ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। हिन्दुस्तान की आजादी का मामला जब-जब ब्रिटेन में आया उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया। ब्रिटेन को जब डेनमार्क और नार्वे की लड़ाई में हार हुई तो हाउस आफ कामंस में बड़ी बहस हुई। वहां एक एडमिरल वर्दी में आया और उसके बोलने के बाद रूलिंग पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। चेम्बरलेन की सरकार बची लेकिन चेम्बरलेन गये और चर्चिल आये। तो ब्रिटेन में यह कोई नयी बात नहीं है। मैं चार, छः प्रधान मन्त्रियों की मिसालें दे सकता हूं कि जिन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए जब वे प्रधान मंत्री नहीं थे अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ वोट दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दलबदल को रोकने के लिये कानून आये लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो संसद्-सदस्य हैं या विधान सभा के सदस्य हैं उनको तीन मौकों को छोड़कर बाकी मौकों पर अपनी बात कहने की आजादी हो और जो राइट टु रिकाल है यह जरूर हिन्दुस्तान की जनता को दिया जाना चाहिए। चुने जाने के बाद हिन्दुस्तान के राजनीतिक आदमी का मिजाज जिस नस्ल का आज हो रहा है, गांधी जी की पीढ़ी के लोग होते तो कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आज जो नस्ल आ रही है उसको देखते हुए जरूरी है कि सरकार इस बात को मान ले और उसके

बाद ठीक तरीके से ड्राफ्ट कर के यह व्यवस्था हिन्दुस्तान के संविधान में कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Madam Vice-Chairman, at the outset I congratulate Shri Shiva Chandra Jha for bringing this Bill before the House because he has raised a very important issue for discussion in this House. Madam, we have adopted democratic form of Government in our country. We have adopted a parliamentary form of Government in our Constitution. Parliamentary form of Government envisages a party system of government. It is most unfortunate that after the attainment of freedom, the ruling party has always been trying to -weaken the Opposition. In a parliamentary form of democracy, the ruling party alone cannot deliver the goods to the country unless the Opposition is also equally strong. It is said that a two-party, or at best three-party system of government should be introduced for the success of parliamentary form of democracy in the country. Today, there are attempts on the part of the ruling party to weaken the Opposition, to buy over Opposition M.L.As, to strengthen the ruling party This disease has spread in such a manner that there are instances—I am not going into those cases in detail as to what the ruling party did in Assam, Meghalaya, Naga-land and so many other States—where they tried to purchase the Opposition M.KAs to form a government. If these things continue, I am afraid the people will lose their faith in the democratic form of government itself. Today, the legislators think that they are gradually losing their credibility, and if they lose their credibility, where is the future for our democratic form of government? How can democracy be successful?

As the other speakers have already mentioned, after being elected to the Legislative Assembly or to Parliament, it has become the tendency on the part of the members to be somebody, to stick *to* power. If he is a Member of the legislature he tries to be a Minister, and if he is a Minister, he tries to be the Chief Minister. Therefore, everywhere we have seen that defectors are troubling[1] these State Governments. This tendency has grown only for this reason because after the election, the legislators feel that they secure for at least five years.

..[The Vice-Chairman (Shri R. Ramakrishnan) in the Chair]

He feels that he has got no obligation to the people. He feels that he is secure and for five years nobody can dethrone. That is why he forgets the mandate, his promise to the electorate and he behaves in such a manne.r that at times he goes against the interests of the people. If this is allowed to be continued for long, then democracy cannot be successful.

Then, again, corruption has spread in society. It has pervaded the entire fabric of our society. It has ruined our society. If you go to the root cause of corruption, you will find that corruption has also entered in the political field. And when the politicians become corrupt, when the legislators become corrupt, it affects the entire society because corruption starts at the top and it percolates to the bottom. Corruption does not start at the bottom. Therefore, if the society is to be kept clean, the legislators must be above suspicion, like Ceaser's wife. Today we have sent that corruption has percolated to every walk of life. Thers is corruption In the political field also. And We are encouraging corruption to retain our *gaddi;* we are encouraging corruption at the time of election; we are encouraging corruption to strengthen our power inside the House. If these things are not checked, there is no future for the country. Sir. you perhaps might have seen in the papers today a report that the government should not think that people are going to tolerate these things. Already some people have decided to start a demonstration for clean politics in the coun-

try# They are going to submit a memorandum to the President. People will not tolerate it. We should not think water whatever we say or whatever we do will be tolerated by the people. People will not tolerate it. Today, the credibility of politicians is decreasing. Why? Because we have not performed our duties properly, we have not followed the mandate that is given by our party, and we have not followed the mandate of the electorate. So, we are losing our credibility. I want to recall in this connection that there were days in the past when the Congress Socialist Party Members resigned from the Congress under the leadership 0f Acharya Narendra Dev, they resigned their membership of the Legislature also. Such examples were set up at that time. So there was a time when the Legislators themselves felt the necessity of following a certain code of conduct. But today we have forgotten everything. So, now the time has come when we must do something. Before it is too late, we should do something if we want to safeguard democracy in our country.

Sir, this Bill has sought to introduce certain provisions in the Constitution so that there may not be defection. If a person is elected on a certain ideology or a certain symbol, and if he resigns from the party, he must be compelled to resign his membership of the Legislature also. Unless it is done, the political horse trading and floor crossing will go to such an extent that the entire system will be corrupted, the high dignity of the House will be lowered. One Member has said that the *goondas* will take the advantage. I am not afraid of that. If the people get the right to recall, they will at the same time be educated properly. They will not recall those Legislators who are good. I do not think that they will recall only good Legislators. I am not apprehensive of the fact that it is the good Legislators who will be recalled. I am sure-the people are not so ignorant that they will recall good Legislators only and they will retain bad Legislators

Sir, we have seen that in different States—and some Member has also has grown. Why? Why the regional raised this issue earlier—regionalism forces have grown is because the national parties have failed o fulfil their duties, because the national parties have failed to fulfil the legitimate aspirations of the different regions. That is why the regional parties have grown. Regional parties will continue to grow if the national political parties in the country lose the confidence of the people. If they lose their credibility, naturally other forces will step in. No sincere attempt, as I have already mentioned, has been made for the growth of real party sys- v •tern for -the success of democracy. We have not made any serious attempt for this. So, it is high time that we rectify the laws, do away with the defects of the election laws. And 'this matter had been raised by no less a person than Loknayak Jayaprakash Narayan himself that the election system should be changed, unless we do it, unless the right to recall is given to the people, unless the election laws are reformed, politics cannot be ciean. And if politics becomes corrupt, only bad people will come. It is not a fact that the entire society has become corrupt. It is not a fact that there are no good people. The only thing is that bad people are trying to occupy the key positions. They have built up a network so that they can remain in power, So, that is why, we want to break this. We want to see that there is scope for good people t0 come to the House, for good people to become legislators.

With these words, I support the Bill brought forward by Shri Shiva Chandra Jha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Shri G. Varada-raj. This is his maiden speech.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: So. it should not be interrupted

SHRI G. VARADARAJ (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chair-

[Shri G. Varadaraj]

man of this august body. I would like to place on record my very sincere appreciation for Shri Shiva Chandra Jha for bringing forward this Bill on defections.

The very first two lines of the Statement of Objects and Reasons, I would like to read out with your permission, Sir;

> "People elect their representatives to Parliament or the Legislative Assemblies of States on certain principles and programmes."

I would like to underline "principles and programmes."

> "By defecting, the legislators betray the mandate of their electors."

Here again I would like to underline "mandate of their electors."

They have mentioned so much about corrupt practices in electioneering and things like that. Basically when we are nominated by a party and when we go to the electors, we go with the very primary thing, holding a carrot of promises, in front of many people. We keep before them what we are going to achieve, what we are going to do. But when the time comes, conveniently we forget them, and whenever the opportunity arises we just become time-servers and immediately shift our loyalty to something else, which has been said hundred per cent correctly here when it says:

> "...betray the mandate of their electors,"

In this way when more and more such things happen, the people lose confidence in the very basic forum of democracy. This would not help us. It is going to be a dangerous future for democracy in this country.

Furthermore, we see the regional parties coming up. Some of my learned Members have mentioned that regional parties are coming into being. This is primarily because people like us wlio sit at the helm of affairs, being elected, and who gave certain hopes for the rural masses, who gave certain hopes for the ignorant masses and who have assured them that something better will be done for them, have not fulfilled the promises, and to a very great extent we did not care for them. That is why the regional parties are coming so very faster now.

We have a new thesis about strong Centre and strong States. If you want to have a strong Centre and strong States then, naturally, I fully endorse that right to recall should be there. Otherwise, nationally we cannot keep up the pledges, we cannot keep up the promises, we have given, and anybody can defect to any other party he wants to. Ultimately the people who veliev-ed in these persons, who believed in the ideologies of the parties, are left in the lurch.

So, Mr. Vice-Chairman, I am of the strong view that this Bill should be supported and in all faith it has to be very much appreciated.

Thank you.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, दल बदल हमारी जनतांत्रिक पद्धति में कोढ़ के समान, बीमारी के रूप में चला आया है। इसके चलते जनतंत्र पर एक भारी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर में जनतंत्र सफलीभूत हो तो यह आवश्यक है कि इस दल बदल को रोका जाय। मैं यह समझता हूं कि श्री शिव चन्द्र झा जी का यह संविधान में संशोधन का बिल भारतीय जनतंत्र में जो खतरा पैदा हो गया है उसके रोकने के लिए एक भारी हथियार के रूप में काम करेगा।

महोदय, सांसद और विधायक जो पार्लियामेंट या असेम्बली में चुने जाते हैं तो पांच वर्षों के लिए चुने जाते हैं।

वे या तो निर्दलीय होते हैं या किसी दल विशेष के होते हैं। चाहे वे दल विशेष के हों या निर्दलीय हों, वे किसी न किसी कार्यक्रम पर, नीति पर चुनाव लड़ते हैं, और ऐसी अवस्था में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पांच वर्षों तक जिस नीति और कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़े हैं, उसके मुताबिक ही काम करें। लेकिन हमारे देश के अन्दर कई सालों से एक परम्परा सी बन गयी है कि सांसद और विधायक चुने जाते हैं विशेष दल के द्वारा लेकिन कुछ ही दिनों के अन्दर वे दल बदल कर दूसरे दलों में जाकर राजनीतिक के अन्दर, शासन में एक अस्थिरता पैदा कर देते हैं। जैसे बाजार में कमोडिटीज की बिक्री और खरीद होती है उसी तरह से लगता यह है कि हम लोगों के देश में सांसद और विधायक की खरीद और बिक्री शुरू हो गयी ह। यह सांसद और विधायक पर एक बहुत बड़ा कलंक है। हम सांसदों और विधायकों की जो प्रतिष्ठा और महत्व है उसको पैसे पर खरीदा और बेचा जाये, यह हमारी प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा आघात है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस पर रोक लगायी जाये।

कांग्रेस पक्ष से कुछ लोगों ने बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह तो व्यक्तिगत नैतिकता के ह्रास के कारण दलबदल होता है, इसलिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है बल्कि देश के अन्दर में मोरल रीजनरेशन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, देश के अन्दर में नैतिकता के विकास के लिए कार्य करना चाहिए और देश के अन्दर अगर नैतिकता की वृद्धि हो जाएगी, तमाम लोग नैतिक बन जायेंगे तो दलबदल आप से आप रुक जायेगा। हमारी समझ यह है कि देश के अन्दर में जो जनतंत्र पर इस तरह का खतरा पैदा हो गया है उसके लिए इस तरह की रिमेडी या इस तरह की औषधि काफी नहीं है। मान लीजिए कि देश में चोर बाजारी होती है, मुनाफाखोरी होती है, चीजों में मिलावट होती है तो उसको रोकने के लिए हम कानून बनाते हैं, सरकार कानून बनाती है। यह तो नहीं कहती कि जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं उनको नैतिकता का विकास करना चाहिए और जब उनकी नैतिकता का विकास हो जायेगा तो चोरबजारी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार आप से आप रुक जायेगा। ऐसा तो नहीं कहा जाता है। उसी तरह का एक भ्रष्टाचार हमारी जनतांत्रिक पद्धति में भी प्रवेश हो गया है। ऐसी अवस्था में महज नैतिकता का उपदेश देना काफी नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कुछ ऐसे संविधान के अंदर संशोधन किये जाएं ताकि जो पैसे के लालच में, दर्म के लालच में जो खरीद और बिक्री विधायकों और सांसदों की होती है, उस पर रोक लग जाए।

हमारे देश के संविधान के प्रिएम्बुल में यह कहा गया है कि हमारे देश का संविधान समाजवादी है। मुझे जहां तक जानकारी है दुनियां में जितने भी समाजवादी मुल्क हैं, उन तमाम मुल्कों में राइट आफ रिकाल का प्रावधान रखा गया है और उन तमाम देशों में इस बात को प्रयोग में लाया जाता है। अगर हमारा संविधान समाजवादी संविधान है, जैसा कि कहा गया है प्रिएम्बुल में, प्रस्ताव में इस तरह की बात की गई है, तो जरूरत इस बात की है कि समाजवादी संविधान होने के नाते जो समाजवादी संविधान की मूल बातें होती है, उसका समावेश दूसरे आर्टिकल्ज में भी होना चाहिए। हमारे

[श्री सूरज प्रसाद]

संविधान के अंदर इस तरह की कमी हम लोगों को काफी खटकती है, या जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें भी यह बात काफी खटकती है।

दूसरे देशों के संविधान में भी इस तरह की बातें हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में इस तरह की बात की चर्चा सुनने को मिलती है। बिहार के ग्राम पंचायत कानून में राइट आफ रिकाल की चर्चा है। बिहार में जो ग्राम पंचायत का कानून है उस कानून के अंदर भी मुखिया के लिए राइट आफ रिकाल की व्यवस्था है। अगर मुखिया के लिए राइट आफ रिकाल की व्यवस्था हो सकती है हमारे देश के अंदर, तो कोई कारण नहीं कि सांसदों और विधायकों के लिए राइट आफ रिकाल की व्यवस्था न हो।

[उपसभापक्ष (श्री सैयद रहमत अली) पीठासीन हुए]

इसलिए हमारी समझ यह है कि श्री शिव चन्द्र झा जी ने संविधान में राइट आफ रिकाल के लिए जो मांग की है, वह बिलकुल उपयुक्त है और भारतीय संविधान के अंदर जो कमी है, वह कमी समाजवादी संविधान के नाते जो इसमें कमी है, उसको दूर करने के लिए यह जरूरी है कि इस बात को स्वीकार किया जाए।

इसलिए मैं इस संविधान में संशोधन की बात को स्वीकारते हुए सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि संविधान में संशोधन की जो बात आई है—राइट आफ रिकाल के लिए, ताकि देश में दल बदल को रोका जा सके, आया राम गया राम का सिलसिला जो देश में शुरू हो रहा है उस पर पाबंदी लगाई जा सके, उस दृष्टि से जरूरी है कि इस तरह से संविधान में संशोधन की बात को सरकार स्वीकार कर ले।

PROF. SOURENDRA BHATTA CHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : (बिहार) रामानन्द बाबू, आप भी बोलिये ना इस पर।

प्रो. सौरेन्द्र भट्टाचार्य : यादव जी, वह तो पीछे बोलेंगे। पहले जिनको बुला दिया है, उनको बोलने दीजिए।

श्री रामानन्द यादव (बिहार): जिस वक्त हम बोलेंगे, उस वक्त आप लोग छोड़-छोड़ कर उठ कर चल दीजिएगा। सब लोग आप कांग्रेस ; और फिर कांग्रेस से सोशलिस्ट बनाया, उसके बाद फिर गये और फिर आए—यह क्रम तो आप लोगों ने ही जारी रखा है। हम सब जानते हैं। जो आपका इतिहास नहीं जानता है, उसको कहिए ना। . . . (व्यवधान)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill that we have been discussing, the Constitution. (Amendment) Bill, a non-official, privae Member's Bill, would not have been necessary, had the Government taken the initiative ui the matter. You may be aware, Sir, that this issue came to be very actively discussed in both Houses of Parliament in post 1977 period. There were talks of bringing in an Anti-Defection Bill a corollpvy of which, or another way of ensuring which was the right to recall. The right to recall is something which can ensure that the promises made to the electorate are properly fulfilled. Unfortunately, in our country electoral promises have come to be looked upon BS something not to be honoured, not to be kept. Nobody believes that whatever is told during the elections, will be follower up after the elections and it is because of the fact that once elected, under the present Constitutional provisions,

he is expected to continue till the end of the term, if no other accident befalla him. In this House, Mr. Vice-Chairman, I am in the sixth year of my Membership, This is my first parliamentary experience. But the experience that"! have gathered during all these years, the spate of defections which I witnessed in this House after having been a Member of the highest legislative body in the country, has depressed me and it is no wonder what hon. Mr. Biswa Goswami told, namely, that politicians have come to be looked down upon by the people in general throughout the country. We have devalued politics totally by our cynic disregard of our integrity, of our party. The fact remains that many parties together have contributed to the bringing about of this pitiable situation in which, however much we may shout, there is no person in this cpuntry, however highly he may be placed, who enjoy ;afidence of the people,' the respect of the people, the trust of the peop&. This cynicism among the people at large is something which is a dangerous portend for the country as a whole. We talk of sessionist tendencies, divisive tendencies, their disquieting symptoms, things happening in one part of the country, in the north-eastern part or the north-western part, but this is a reaction which is rather all pervasive, and which has a serious corroding effect on the national moral, on the national determination and on national purposiveness. That is something we are disregarding at the peril of our country, I should say.

It is no use just trying to extend a threat from this side to that side or from that side to this side. My hon. friend, Mr. Ramanand Yadav was just now in the course of his interruption saying, when I will reveal certain things you will be thunderstruck. It is no use trying to trade these charges that what I have done, you have also done. Therefore keep silent or I will expose you. We are totally exposed before the people at large. mat remains the fact. Perhaps from the stream of politics which I represent, the Leftists perhaps may claim with strong emphasis that in that stream this thing, this politics of just changing sides, it may be a part of when a political policy, a question of changing strategy, but never...But, individually, left parties have a far better record in this respect. But that is no consolation. When politics is devalued, debased in the eyes of the people, its ill-effect touches them • as well, and that is what we have been witnessing perhaps for the last one decade. The devaluation has reached a very low depth which is, perhaps, unparalleled. You all know the instances; it is no use quoting them. An entire Parliamentary group changes colours overnight in order to remain in power, Be it a question of power, Ministership, continuance of membership, if a person knows that with his affiliation with a particular side, he will not be able to make his appearance in the legislative sphere, he changes sides and gets the reward. These are the things, which—if we want 'to stop can be stopped only by stringent laws. Even if we pass the law, those who will pass the law, will themselves be indulging in these things. Therefore, perhaps, it would be too much to expect; you know the fate of a private Member's Bill. There is a discussion, the Minister is present, and if time comes, a reply from the side of the Minister will come I and the discussion will end. Nothing purposeful emerges out of it, save and except perhaps changing public opinion about what they think of us. That is the point. If we are serious about it, if we want to stop defections and if we want to consolidate our strength really,on the basis of our ideology, on the basis of our principles and on the basis of our conviction and the confidence of the people—it is with their confidence that we are here—if all this has any meaning, there is no reason why the i Government should not come forward I with an anti-defection Bill and at J the same time, why it should not have t the courage to pass this appropriate

[Prof. Sourendra Bhattacharya] legislation to ensure right to recall. Even within one party, you know, how one, once elected, behaves. Even without defection, even remaining within the party, in the name of dis-sidence, in the name of freedom of conscience, we may create a situation in which this right to recall would be necessary. We are very adapt at sophistry, very adapt at confusing the issue, side-tracking the issue, without hitting the bull' eye. The main point is whether we fulfil the pledges that we take at the time of the elections and whether we have an obligation to observe it. I may say—I had occasion to say it earlier—that left parties in this regard have a better record; not that it cannot be bettered; regarding fulfilment of election promises also, the same thing applies. Election manifestos given by successive left, front Governments in different States have been scrupulously followed, or if they have been unable to fulfil the same, reasons for it have been given by acknowledging the obligations made in the election pledges. But we have heard of *Ganbi Hatao.* We have heard of a Government which works. We have heard of the other promises. One million jobs within a specified time. And we have also seen how poverty has increased, how there is a Government which does lot work and no jobs have been provided. If that remains the attitude of the parties, wich are in a position to run the Government, such Bills will take two and a half hours of the time of this House. In the process, we spend large sums of money according to calculations given from time to time. But nothing will come out of it. Therefore, if we really want to tone up our national life, to bring purposiveness into our national life, if we want to imbue every individual in the country with an urge to fulfil their obligations to himself, to the family and to the country at large, then, it i_s hight time—perhaps, high-time has also passed—we make an introspection, without trying to pass the buck from one to another, try to recognise our own deficiencies, our own lapses and our own faults, and if there is dishonesty, our own dishonesty, because, the basic ill is our dishonesty. A society has come about which is a permissive society which overlooks everything, every vice as part of those who are in power, or, these who aspire to be in power. Any means is good enough in order to just instal oneself in a particular pedastal and in order to make aggrandisement, sometimes in the name of the party, sometimes in the name of the 'group, sometimes in the name of the individual. If this permissiveness continues, the country will be—if we say this, it will be a hackneyed term—at the cross-roads between destruction and continuance. If we are unable to stem the tide, if we do not firmly try to put a stop to the **rot** which is taking place in our political life, by the powers that be, who have been successively in power it is sure that a time would come when people will rise against it. It may be that they will rise; in a manner which **will** be the undoing of not only those **who** are in power, but also those who are not in power, but who are both contributing in the same dishonest manner, through the same dishonest practices. I don't say that it ia the monopoly of this side or that side. But at the same time, those who are in power have set the tone. It is this party which is now in power and which has been in power in this country for 33 years minus three years and many of them, as you know, **Sir,** have been in the ftarty whieli has been so long in power. There may be a dissension in the party. There may be a difference in the party. This may be on the basis of principles, on the basis of policies. This may lead to a split in the party. It may be otherwise healthy for the party. But there, the principle, the policy, the strategy would be very clear. When that happens, with national interests, national objectives in sight, that is in a different category. But when individuals cross floors, it is a different thing, as I had witnessed. We are not sure who were on this side before lunch and who would be on that side after lunch; we do not know, before the end of the day, before the **House**

rises for day who will be on which side. Now this type of atmosphere erodes the authority of the Parliamentary institutions. Parliamentary institutions have the responsibility to save themselves, but they do not function in abstract. Those who are wielding power have a special responsibility in this matter. If they do not perform that duty, if they are averse to that duty, the conclusion becomes inescapable that they are interested in further degenerating the political life, in continuing the state of affairs so that their seat of power is secure. But this is not the way because 33 years or 36 years or even 50 years period is too small in a nation's life. We know that. History records human events of a much longer period. Ups, downs and reflection from the side of the people have all been witnessed in the course of the history many a time. Those, who happen to be in power, have been thinking that they can get away with anything and by any means. To remain in power, just as in the present moment, is their sole concern. But they can take lessons from the very recent history. People are not fools. They are not as fools as they are taken to be. Their retribution has been witnessed by those in power in very recent years. That lesson perhaps should not be forgotten. At that time it might have come through ballot, but if it continues it may come in another form. So, those who are in power and those who are aspiring to come in power, both should be concerned with this because records on both sides have their dark spots. If on this issue some national consensus could be formed, perhaps it would be asking for too much, but at least national consensus is essential on one point that this dishonesty cannot continue and people are the sovereign authority, sovereignty does not rest in Parliament, perhaps in abstract, not even in the Constitution. It is the people who are sovereign power and if that sovereign power cannot be exercised in an organised form the disorganised expression sometimes may spell greater disaster. We have a responsibility towards the country. If we do not discharge that responsibility, perhap we ourselves would be responsible for that disaster. Let us again remember that people's patience is not illimitable and when that patience is exhausted, it recoils upon those who are wielding the power. And then we will have the greatest lesson of the history.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): The discussion will continue in the next session. Now I will call the Minister, Shri Hari Nath Mishra, for a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Rural landless employment guarantee programme

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARI NATH MISHRA): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) on "Rural Landless Employment Guarantee Programme". [Placed in Library. *See* No. LT-6907/83]

5 p.m.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो वक्तव्य रखा है, मुझे पता है कि उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि वह पटल पर रख दिया गया है। लेकिन आपसे मैं यही व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के विभाग पर पिछले सत्र में बहस चली थी, परन्तु वह अधूरी रह गई थी। उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं हुआ था, उस पर आप फिर बहस करवायें और माननीय मंत्री उस बहस का उत्तर भी दें। हम लोग जो इतने सदस्य इस पर बहस कर गये वह अधूरी बहस ही इस सदन की कार्यवाही में रह जायेगी और मंत्री महोदय का यह जो स्टेटमेंट आया है, उस पर स्पष्टीकरण भी हम लोगों